

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

कार्यालय: मुख्य प्रबन्धक, जोधपुर आगार
Email- rsrtc.cmjodhpur@mail.com , 9549653264

क्रमांक: मुप्रजो / कैन्टीन / 24 / 147

दिनांक: 26.09.2024

निविदा सूचना

केन्द्रीय बस स्टेण्ड, पावटा, जोधपुर के नवीन केन्द्रीय बस टर्मिनल में ग्राउण्ड फ्लोर स्थित रिक्त स्थल को इच्छुक फर्मों, प्रतिष्ठानों, संस्थानों एवं व्यक्तियों को निम्नलिखित व्यवसाय हेतु लाईसेन्स फीस पर उपलब्ध करवाने हेतु निम्नानुसार निविदा आमंत्रित की जाती है:-

क्र.सं.	व्यवसाय का विवरण	साईज	अनुमानित मासिक लाईसेन्स फीस राशि+ 18% GST अतिरिक्त	धरोहर राशि
1.	ड्राई केन्टीन (चाय, पानी, पैकिंग नमकीन, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकिंग ज्यूस, चॉकलेट, चूर्ण, आईसक्रीम विक्रय हेतु)	1. (ड्राई पैन्टी रूम- (20*25 Feet) 2- पोर्टेबल केबिन - (07*21.25 Feet) 3- पोर्टेबल केबिन - (07*13.50 Feet) 4- चाय काउन्टर- (06*06 Feet) 5- चाय काउन्टर- (06*06 Feet)	5,60,000/-	50,000/-

इच्छुक निविदादाता निविदा प्रपत्र एवं निविदा की नियम शर्तें इस कार्यालय से निर्धारित शुल्क 1180/- रुपये (जीएसटी सहित) जमा करवाकर दिनांक 26.09.2024 से कार्यालय समय में प्राप्त किया जा सकता है तथा दिनांक 07.10.2024 को 15:00 बजे तक इस कार्यालय में निविदाएं प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र के साथ निर्धारित धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट CM RSRTC JODHPUR के पक्ष में अनिवार्य रूप से जमा की जायेगी। धरोहर राशि जमा करवाये बिना प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त निविदाएं दिनांक 07.10.2024 को उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष समय 15:15 बजे खोली जायेगी। किसी भी प्रस्ताव या सभी प्रस्तावों को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का निगम का पूर्ण अधिकार रहेगा।

इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण निगम वेबसाईट <http://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc> एवं SPPP Portal <http://sppp.rajasthan.gov.in> एवं लोक उपापन पोर्टल पर भी देखी जा सकती है।

(मुकन सिंह)
मुख्य प्रबन्धक

RajKaj Ref
10784984



कमांक:मुप्रजो / कैन्टीन / 24 / 147

दिनांक: 26.09.2024

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान् कार्यकारी प्रबन्धक (विज्ञापन), राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर
2. श्रीमान् जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर, को विज्ञप्ति सलंगन कर समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
3. श्री महाप्रबन्धक (आईटी), रारापपनि, मुख्यालय जयपुर को निविदा दस्तावेज निगम वेबसाईट <http://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc> पर उपलोड करने हेतु प्रेषित है। ।
4. कैशियर (भुगतान), राजस्थान परिवहन निगम, जोधपुर आगार।
5. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
6. रक्षित पत्रावली।

(मुकन सिंह)
मुख्य प्रबन्धक

RajKaj Ref
10784984

(यह प्रपत्र अहस्तानतरणीय है तथा जिसके पक्ष में यह जारी किया गया जावे, उसी के प्रयोजनार्थ हैं)

वित्तीय निविदा प्रपत्र

निविदा प्रपत्र शुल्क 1180/- रुपये (जीएसटी सहित)		रसीद संख्या.....दिनांक.....
धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट		In Favour Of - CM RSRTC JODHPUR Amount - Rs. /- DD NO-DATE.....
कार्य/ व्यवसाय /स्थान का नाम एवं विवरण		स्थान का विवरण-केन्द्रीय बस टर्मिनल, जोधपुर आगार। प्रस्तावित व्यवसाय का नाम- ड्राई केन्टीन (चाय, पानी, पैकिंग नमकीन, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकिंग ज्यूस, चॉकलेट, चूर्ण, आईस्क्रीम विक्रय हेतु)
1	संस्था/फर्म/व्यक्ति का नाम
2	संस्था/फर्म/व्यक्ति का पूर्ण पता	पता.- तहसील.....जिला..... पिन कोड-.....
3	टेलीफोन नम्बर/मोबाइल नं.	1..... 2.....
4	व्यावसायिक अनुभव व उसका विवरण
5	प्रतिमाह प्रस्तावित लाईसेन्स फीस राशि:- (18 % जीएसटी अतिरिक्त रहेगी)	राशि अकों में-.....रुपये प्रतिमाह + नियमानुसार GST अतिरिक्त राशि शब्दों में..... +GST
		निविदादाता के हस्ताक्षर
6	निगम में अन्य स्टैण्ड पर पूर्व में स्टाल/बूथ का आवंटन हुआ है तो उसका पूर्ण विवरण।
7	निविदादाता का जिस बैंक में खाता है उसका नाम बैंक में खाता नम्बर	A/C No. -
		IFSC CODE-
		BRANCH NAME-

RajKaj Ref
10784984

निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न की जाने वाली वांछित औपचारिकताएं:-

क्र.सं.	विवरण	संलग्न दस्तावेज	चैक बॉक्स
1.	निविदा प्रपत्र	प्रत्येक पृष्ठ स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित	
2.	संस्था/व्यक्ति/फर्म का नाम	कोई एक वैध प्रुफ	
3.	निविदा प्रपत्र शुल्क- 1180 रुपये	मूल रसीद लगाना	
4.	धरोहर राशि 50000/- रुपये	मूल बैंक ड्राफ्ट लगाना	
5.	GST Registration No.	सत्यापित प्रति /आवेदन का साक्ष्य लगाना	
6.	PAN No.	सत्यापित प्रति लगाना	
7.	आधार कार्ड नं.	सत्यापित प्रति लगाना	
8.	बैंक खाता संख्या	स्वयं हस्ताक्षरित कैंसिल चैक	
9.	कार्य अनुभव	यदि कोई हो तो संलग्न करें	
10.	FSSAI प्रमाण पत्र	सत्यापित प्रति /आवेदन का साक्ष्य लगाना	

-

RajKaj Ref
10784984


ड्राई केन्टीन व्यवसाय के लाईसेन्स हेतु व्यवसाय एवं स्थान का विवरण:-

क्र.सं.	व्यवसाय का विवरण	स्थान का विवरण साईज	
1.	ड्राई केन्टीन (चाय, पानी पानी की बोटल, पैकिंग नमकीन, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकिंग ज्यूस, चॉकलेट, चूर्ण, आईसक्रीम विक्रय हेतु)	1. (ड्राई पैन्टी रूम- 514 वर्ग मीटर) (20.00*25.00 Feet) (बुकिंग विन्डो-03 के पीछे)	निर्मित कक्ष
		2- स्वनिर्मित पोर्टेबल केबिन (07*21.25 Feet) (एसबीआई एटीएम के पास)	रिक्त स्थान
		3- स्वनिर्मित पोर्टेबल केबिन (07*13.50 Feet) (पुलिस चौकी के पास)	रिक्त स्थान
		4- स्वनिर्मित पोर्टेबल चाय काउन्टर (06*06 Feet) (प्लेटफार्म 11 पर)	रिक्त स्थान
		5- स्वनिर्मित पोर्टेबल चाय काउन्टर (06*06 Feet) (प्लेटफार्म 18 पर)	रिक्त स्थान

- रिक्त स्थान पर फर्नीचर एवं पोर्टेबल केबिन का निर्माण लाईसेन्सी द्वारा अपने खर्च पर करवाया जायेगा।
- फर्नीचर एवं केबिन निर्माण से पूर्व डिजायन एवं प्रारूप का अनुमोदन निगम कार्यालय से करवाने के उपरान्त ही स्थापित किया जायेगा।
- ड्राई केन्टीन में केवल पैकिंग आईटम का ही विक्रय किया जायेगा तथा किसी खाद्य सामग्री के निर्माण, बनाने एवं पकाने की अनुमति नहीं होगी।

RajKaj Ref
10784984

बस टर्मिनल का मानचित्र



RajKaj Ref
10784984

निविदा हेतु सामान्य शर्तें एवं दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं:-

1. निविदा केवल ऑफलाईन माध्यम से इस कार्यालय में जमा की जायेगी।
2. निविदा प्रपत्र इस कार्यालय में नकद 1180/- रुपये निगम कोष में जमा करवाकर प्राप्त किये जा सकेंगे।
3. निविदा में भाग लेने हेतु धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से ही स्वीकार की जायेगी।
4. निविदा सूचना के प्रत्येक व्यवसाय हेतु पृथक-पृथक प्रपत्र स्वीकार किये जायेंगे। प्रत्येक निविदा पृथक-पृथक दो सीलबन्द लिफाफों में स्वीकार की जायेगी।
5. प्रथम सीलबन्द लिफाफा में तकनीकी निविदा यथा- धरोहर राशि का मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट, निविदा दस्तावेज सहित समस्त अन्य दस्तावेज स्वीकार किये जायेंगे।
6. द्वितीय सीलबन्द लिफाफा में केवल वित्तीय निविदा यथा- वित्तीय निविदा प्रपत्र ही स्वीकार किये जायेंगे। तकनीकी निविदा में सफल घोषित निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदाएं खोली जायेगी।
7. निविदा में उच्चतम राशि का प्रस्ताव देने वाले निविदादाता को सफल घोषित किया जायेगा। प्रथम निविदादाता द्वारा निगम के LOI को निर्धारित समय में स्वीकार नहीं करने एवं अनुबन्ध सम्पादित नहीं करने पर क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय निविदादाता को LOI जारी किये जायेंगे एवं समय पर अनुबन्ध निष्पादन एवं कार्य आरम्भ नहीं करने पर निगम में जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
8. उच्चतम तीन निविदादाता के अनुबन्ध निष्पादन एवं कार्य आरम्भ करने में असफल होने पर सक्षम अनुमोदन पश्चात अन्य निविदादातों को भी वरीयता क्रम में कार्य निष्पादन हेतु LOI जारी करने का निर्णय लेने का अधिकार आगारीय समिति को होगा एवं अनुबन्ध निष्पादन एवं कार्य आरम्भ करने में असफल रहने वाले निविदादाताओं की धरोहर राशि निगम कोष में जब्त कर ली जायेगी।
9. सफल निविदादाता के द्वारा निगम के साथ अनुबन्ध सम्पादित होने एवं तीन माह की अग्रिम लाईसेन्स फीस जमा होने पर ही कार्यदेश जारी किये जायेंगे। निविदादाता को एक माह के भीतर व्यवसाय आरम्भ करना होगा, जिसमें असफल रहने पर कार्यदेश निरस्त कर द्वितीय उच्चतम बोलीदाता को आशय पत्र जारी किया जायेगा, जिसे वरीयता क्रम में जारी रखा जा सकेगा।
10. निविदा के सफल कार्यान्वयन एवं कार्यदेश जारी होने के पश्चात ही प्रस्तावित निविदा में असफल रहे अन्य निविदादाताओं को धरोहर राशि लौटाई जायेगी।
11. उक्त निविदा के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संशोधन किया जाना अनिवार्य होने पर इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर या SPPP Portal <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर अपलोड कर दिया जायेगा, इसलिए निविदा से सम्बन्धित अपडेट हेतु इस कार्यालय एवं पोर्टल पर विजिट अवश्य करें।
12. मैंने उपरोक्त शर्तों को पढ़कर, समझकर, सुनकर अपने हस्ताक्षर किए हैं। उक्त समस्त शर्तें मुझे स्वीकार हैं

स्थान: दिनांक:

RajKaj Ref
10784984

सामान्य निविदा-शर्त :-

स्टॉल आवंटन/संचालन की निविदा शर्त निम्न है:-

1. निगम परिसर में दुकान/स्टाल/बूथ/स्वनिर्मित कियोस्क/खाली स्थान अस्थाई लाईसेंस पर प्रथमतः एक वर्ष के लिये दी जावेगी। एक वर्ष की अवधि समाप्ति पर लाईसेन्सी के विरुद्ध कोई राशि बकाया नहीं होने एवं सन्तोषजनक सेवाये रहने पर ही लाईसेन्स फीस में 10 चक्रवृद्धि दर से वृद्धि करते हुए नवीनीकरण किया जा सकेगा। जिन स्टॉलों की मासिक लाईसेंस फीस 50,000/- रुपये से कम है, उन स्टालों का लाईसेंस नवीनीकरण अधिकतम **3 वर्ष** तक व जिन स्टालों के मासिक लाईसेंस फीस 50,000/- रुपये अथवा उससे अधिक होने पर उन स्टालों का लाईसेंस नवीनीकरण अधिकतम **5 वर्ष** तक की अवधि के लिए किया जा सकेगा। उक्त लाईसेंस अवधि समाप्ति के दो माह पूर्व पुनः खुली निविदा आमंत्रित कर नये उच्चतम निविदादाता को दिशा निर्देशानुसार समय पर स्टाल आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी। अनुज्ञा की अवधि समाप्ति पर लाईसेन्सी द्वारा स्वतः ही बिना सूचना/नोटिस प्राप्त हुए निगम को दुकान/स्टाल/बूथ/स्वनिर्मित कियोस्क खाली कर कब्जा सम्भलाना पड़ेगा। लाईसेन्सी द्वारा किसी न्यायालय में निगम के विरुद्ध वाद दायर नहीं किया जा सकेगा।
2. लाईसेन्स पर दुकान/स्टाल/बूथ/स्वनिर्मित कियोस्क/खाली स्थान लेने हेतु लाईसेन्सी को 500/- रूपए के भारतीय गैर न्यायाधिक स्टाम्प पर निर्धारित शर्तों के अनुरूप लिखित में अनुबन्ध करना होगा। यह अनुबन्ध-पत्र पूर्ण रूप से भरा होना चाहिये एवं दुकान/स्टाल/बूथ/स्वनिर्मित कियोस्क/खाली स्थान आवंटन के 7दिवस के भीतर लाईसेन्सी द्वारा कार्यालय में जमा करवाना होगा। तत्पश्चात् ही लाईसेन्सी को व्यवसाय प्रारम्भ की अनुमति होगी।
3. लाईसेन्स पर दी गई दुकान/स्टाल/बूथ/स्वनिर्मित कियोस्क/खाली स्थान पर व्यवसाय करने हेतु केवल नीचे दी गई सामग्री का ही बेचान किया जा सकेगा इसके अतिरिक्त अन्य कोई सामान का बेचान अथवा व्यवसाय नहीं किया जायेगा :-
 - 1-ड्राई केन्टीन:- (चाय, पानी, पैकिंग नमकीन, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकिंग ज्यूस, चॉकलेट, चूर्ण आईसकीम विक्रय हेतु)
4. निविदा पत्र के साथ धरोहर राशि 50,000/-रुपये (अक्षरे पचास हजार रुपये मात्र) का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा। लाईसेन्स आवंटित होने पर लाईसेन्सी को दस (10) दिवस में 3 माह की लाईसेन्स फीस के बराबर सुरक्षा राशि की डी.डी./बैंकर्स चैक निगम कोष में जमा करानी होगी। उक्त धरोहर एवम् सुरक्षा राशि बिना ब्याज के लाईसेन्स अवधि समाप्ति तक निगम कोष में जमा रहेगी। लाईसेन्सी द्वारा लाईसेन्स जारी होने के 30 दिवस के अन्दर व्यवसाय आरम्भ नहीं करने पर धरोहर राशि एवम् सुरक्षा राशि जब्त कर लाईसेन्स रद्द कर दिया जावेगा व द्वितीय एवं तृतीय उच्चतम निविदादाता को अथवा पुनः निविदा कर लाईसेन्स आवंटन किया जा सकेगा।
5. निगम को अनुबन्ध समाप्ति दिनांक से पूर्व आवंटित दुकान/स्टाल/बूथ/स्वनिर्मित कियोस्क/ खाली स्थान की आवश्यकता होने पर लाईसेन्सी 24 घन्टे के भीतर स्वयं के खर्चे पर पुरानी जगह से सामान उठाकर वैकल्पिक अन्य नये स्थान पर ले जावेगा। वैकल्पिक अन्य स्थान की उपलब्धता एवम् उसकी व्यवसायिक उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए उसकी नवीन लाईसेन्स दरों के प्रस्ताव आगार स्तरीय समिति द्वारा किये जावें एवं उसका अनुमोदन जोन के महाप्रबंधक के स्तर से किया जावेगा। जब भी लाईसेंसधारी को पूर्व स्थान से शिफ्ट करना हो तो पहले नियमानुसार उसका लाईसेंस निरस्त किया जावेगा तथा नये स्थान पर आवंटन के लिए पूर्व ऐसे लाईसेन्सी को प्राथमिकता दी जावेगी। यदि नवीन लाईसेन्सी शुल्क/दरों के लिए पूर्व लाईसेन्सी सहमत न हो तो ऐसी दशा में उसकी स्थान परिवर्तन के आधार पर प्राथमिकता समाप्त कर दी जावेगी एवम् नये स्थान का लाईसेन्स भी निर्धारित प्रक्रिया से निविदायें आमन्त्रित कर आवंटन किया जावेगा। ऐसी स्थिति में यदि लाईसेन्सी उचित समझे तो एक माह का नोटिस देकर बिना किसी उत्तरदायित्व के लाईसेन्स रद्द कर सकेगा।

6. लाईसेन्सी मासिक लाईसेन्स फीस के प्रतिवर्ष (वर्ष आवंटन दिनांक से माना जावेगा) **12 अग्रिम पोस्ट डेटेड चैक** जो प्रत्येक माह की 01 तारीख को देय होंगे, देगा। **माह की 07 तारीख तक लाईसेन्स फीस** जमा नहीं कराने पर अथवा लाईसेन्स द्वारा किसी शर्त का पालन करने में असमर्थ रहने पर आगारीय समिति **48 घंटे का नोटिस** जारी कर लाईसेन्स निरस्त कर सकेगी। लाईसेन्स निरस्त करने/वापिस किये जाने पर लाईसेन्सी निगम परिसर को **24 घंटे में** खाली कर उसका कब्जा निगम के सक्षम अधिकारी को देगा। ऐसा नहीं किये जाने पर निगम के सक्षम अधिकारी दुकान में प्रवेश कर दुकान/स्टाल का कब्जा ले लेगा और स्टाल के ताला लगा दिया जावेगा।
7. लाईसेन्सी स्वयं के खर्च पर सम्बन्धित विभाग के **बिजली व पानी का कनेक्शन** प्राप्त करेगा तथा उसका स्वयं भुगतान वहन करेगा। अनुबन्ध समाप्त होने पर आगारीय समिति सम्बन्धित विभाग को कनेक्शन बन्द करने के लिए सूचित करेगा।
8. आवंटित दुकान/स्टाल/बूथ/स्वनिर्मित कियोस्क/खाली स्थान पर लाईसेन्सी मादक पदार्थ जैसे शराब, बीयर, अफीम, गांजा, चरस व सरकार द्वारा प्रतिबन्धित पदार्थ न तो रखेगा न ही बेचेगा।
9. लाईसेन्सी अपना व्यवसाय आवंटित स्थान सीमा में ही कर सकेगा।
10. लाईसेन्सी विक्रय किये जाने वाले पदार्थों की मूल्य सूची आगारीय समिति से अनुमोदन कराकर दुकानदार/स्टाल पर लगायेगा, जिसे यात्री सुगमता से पढ़ सके। लाईसेन्सी आवंटित दुकान/स्टाल में किसी तरह का परिवर्तन/मरम्मत नहीं करा सकेगा।
11. निगम द्वारा लाईसेन्सी को **24 घंटे का लिखित नोटिस देकर लाईसेन्स को निरस्त** करने का अधिकार होगा जिसके लिए कारण का उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं होगा।
12. यदि लाईसेन्सी स्वयं अपना लाईसेन्स चालू नहीं रखना चाहे तो उसे कम से कम तीन माह पूर्व उसकी सूचना आगार प्रभारी को प्रस्तुत करनी होगी। तीन माह का नोटिस दिये बिना व्यवसाय बन्द करने पर उसकी पूर्व में जमा सुरक्षा एवम् धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
13. दुकान/स्टाल/बूथ/स्वनिर्मित कियोस्क/खाली स्थान का लिया गया लाईसेन्स अहस्तान्तरित योग्य होगा व सबलेट नहीं किया जा सकेगा।
14. (i) Dispute Resolution : Any dispute or difference whatsoever arising between the parties out of or relating to the construction, meaning, scope, operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof, shall, in the first instance, be resolved by referring such dispute or difference to the Standing Committee constituted vide Rajasthan State Road Transport Corporation's office order No. HO/Law/Gen/ 17/781 dated 03.10.2017. The Standing Committee so constituted shall ensure full compliance with the office order referred to above.
(ii) Any dispute/objection regarding the conditions mentioned in all the tenders/contracts/agreements issued by the corporation shall be filed in the competent court located in Jaipur.
15. लाईसेन्सी के विरुद्ध किसी भी तरह की बकाया राशि होने की स्थिति में उसकी जमा सुरक्षा राशि में से राशि समायोजित कर ली जावेगी, जो लाईसेन्सी द्वारा दो दिवस में बैंक ड्राफ्ट द्वारा पुनः निगम कोष में जमा करानी होगी। ऐसे नहीं करने पर आगारीय समिति लाईसेन्स निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर अन्य योग्य फर्म को लाईसेन्स दे दिया जावेगा।
16. लाईसेन्सी द्वारा निगम से समय-समय पर जारी आदेश/शर्तों का पालन किया जावेगा अन्यथा आगारीय कमेटी को लाईसेन्स निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। इससे होने वाली हानि के लिए लाईसेन्सी स्वयं जिम्मेदार होगा।
17. दुकान/स्टाल/बूथ/स्वनिर्मित कियोस्क/खाली स्थान पर पूर्ण गुणवत्ता पदार्थों का ही विक्रय किया जायेगा।
18. लाईसेन्सी द्वारा किये जा रहे व्यवसाय पर सरकार द्वारा कोई कर आदि का निर्धारण किया जाता है तो वह लाईसेन्सी द्वारा सीधे सम्बन्धित विभाग में जमा कराया जावेगा।
19. यात्रियों की सुविधा के मध्यनजर रखते हुए निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि लाईसेन्सधारी के अलावा उसी आइटम का लाईसेन्स उसी प्लेटफार्म पर अन्य फर्म को भी जारी कर सकेगा। लाईसेन्सधारी को इस बारे में किसी तरह का एतराज उठाने का अधिकार नहीं होगा।
20. यदि निविदादाता के निविदा प्रस्ताव स्वीकार कर लिये जाते हैं तो निविदादाता को मतदाता परिचय पत्र/वर्तमान ड्राइविंग लाईसेन्स की प्रमाणित प्रति, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जी.एस.टी. प्रमाण पत्र, इनकम टैक्स रिटर्न की प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ निम्नलिखित प्रपत्र प्रबन्धक के कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे:-

1. निविदादाता के नाम पर जो भी चल एवं अचल सम्पत्ति है उनके प्रपत्रों की प्रमाणित छायां प्रति अथवा स्वयं के नाम पर कोई चल एवं अचल संपत्ति नहीं है तो उसके गारंटर की चल एवं अचल सम्पत्ति के प्रपत्रों की प्रमाणित फोटो प्रति।
2. निविदादाता के नाम पते के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति। (पुष्टि में मतदाता परिचय पत्र/वर्तमान ड्राईविंग लाईसेन्स की प्रमाणित प्रति, पैन कार्ड, आधार कार्ड,जी.एस.टी. प्रमाण पत्र, इनकम टैक्स रिटर्न की प्रमाणित फोटो प्रति)
3. निविदादाता अथवा निविदादाता के गारंटर को 500/- रूपयें के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पर यह शपथ पत्र भी देना होगा कि जब तक वह निगम का लाईसेन्सी रहेगा तब तक बिना निगम की अनुमति वह अपनी चल एवं अचल सम्पत्ति का विक्रय नहीं करेगा। यह शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक ऑथोरिटी द्वारा सत्यापित होगा।
21. निविदा-प्रस्ताव मुख्य प्रबन्धक जोधपुर को सम्बोधित करते हुए जिस स्थान अथवा कार्य हेतु निविदा डाली जा रही है को लिफाफे पर अंकित करते हुए सीलबन्द लिफाफे में प्रेषित किये जावेंगे।
22. निविदा प्रस्ताव सरल एवम् शुद्ध भाषा में होंगे तथा किसी प्रकार की काट-छांट ना हो। प्रस्ताव पर संस्थान के मालिक/अधिकृत व्यक्ति के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए तथा यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि हस्ताक्षरकर्ता मालिक है या पार्टनर/अधिकृत व्यक्ति अपना पद व हैसियत भी लिखें।
23. निविदादाता द्वारा दिये गये कोई भी सशर्त प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार नहीं होंगे।
24. यदि किसी भी संस्थान /व्यक्ति/फर्म के विरुद्ध निगम की राशि बकाया/ विचाराधीन है तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा।
25. संलग्न घोषणा-पत्र को भरकर निविदा प्रस्ताव प्रपत्र के साथ संलग्न करें।
26. लाईसेन्सधारी उसके द्वारा देय लाईसेन्स फीस के अलावा जी.एस.टी. एवम् उन समस्त करों को तथा अन्य फीस को जो भी किसी सरकारी विभाग अथवा स्थानीय निकाय को देय हो आदि का भुगतान नियमानुसार समय पर करेगा।
27. जी.एस.टी. इनपुट क्रेडिट हेतु अपना **जी.एस.टी. नम्बर आवश्यक रूप** से उपलब्ध करवाना होगा अन्यथा जी.एस.टी. इनपुट का लाभ नहीं मिलने पर निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
28. फर्म जिसके पक्ष में लाईसेन्स जारी किया गया है उसका यह दायित्व होगा **कि लाईसेन्स फीस का भुगतान उस दिनांक से करें जिस दिनांक को उसका प्रस्ताव स्वीकार किया गया है** तथा लाईसेन्स फीस जमा नहीं करवाने पर प्रतिदिन 50/-रूपए अथवा चैक राशि का 1 प्रतिशत जो भी अधिक हो की दर से शास्ति राशि जमा करवानी होगी।
29. **लाईसेन्सी को निविदा प्रपत्र के साथ अपना आधार कार्ड की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अभाव में इनकी प्रपत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।**
30. निविदा में निगम द्वारा केवल रिक्त अथवा यथास्थिति निर्मित स्थान उपलब्ध करवाया जायेगा। उक्त स्थान पर आवश्यक होने पर निगम की अनुमति से ही अस्थाई निर्माण स्वयं लाईसेन्सी के द्वारा अपने स्तर पर स्वयं के खर्च से ही करवाया जायेगा।

मैंने उपरोक्त शर्तों को पढ़कर, समझकर, सुनकर मैंने हस्ताक्षर किये हैं। उक्त शर्तें मुझे पूर्णतया स्वीकार हैं।

RajKaj Ref
10784984

घोषणा-पत्र

(निविदादाता द्वारा इस घोषणा पत्र को भरकर हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है।)

1. मैं/हम निगम कोष में धरोहर राशि डी.डी.संख्या/ बैकर्स चैक संख्या दिनांक राशि रुपये जो कि **CM RSRTC JODHPUR** के नाम देय है, संलग्न कर रहे है/कर दिया है।
2. मैं/हमने व्यवसाय का नाम हेतु निगम की समस्त शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया/सुन लिया है तथा इन सभी शर्तों की पालना करने का वचन देता हूँ/देते है। हमारा प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं/हम निगम के साथ लाईसेन्सी आधार पर अनुबन्ध पर हस्ताक्षर कर दूंगी/देगें।
3. मेरे/ हमारे द्वारा निविदा प्रपत्र में प्रस्तावित दर पर सफल घोषित किये जाने पर निगम द्वारा जारी आशय पत्र को स्वीकार नहीं कर अनुबन्ध एवं परफोर्मस सुरक्षा राशि निर्धारित समय में जमा नहीं करवाई जाती है तो निगम नियमानुसार जमा धरोहर एवं अन्य राशि जब्त कर आवश्यक कार्यवाही कर सकेगा, जिस पर मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
4. मैं/हम घोषणा करता/करते है कि मैंने/हमने जो प्रस्ताव किये है उसमें किसी अन्य संस्थान का कोई सरोकार नहीं है तथा यह प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति/संस्थान की तरफ से नहीं दिये गये है।

स्थान:-

दिनांक :-

(हस्ताक्षर निविदा दाता)

पुरा नाम:-

मय पद/हैसियत व मोहर सहित।

**RajKaj Ref
10784984**

सफल निविदादाता एवं निगम के मध्य निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध पत्र का प्रारूप

(500 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक को मुख्य प्रबन्धक राजस्थान परिवहन निगम , जोधपुर आगार, जो कि निगम कहलायेगा एवं श्री/श्रीमती.....पुत्र/पति का नाम श्री..... पता

.....स्थाई पता

.....जो कि लाईसेंसी कहलायेगा, के मध्य निम्नलिखित शर्तों पर निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह है कि राजस्थान परिवहन निगम,.....परिसर में निर्मित दूकान नं.स्टाल संख्या...../बूथ नं...../खाली स्थान साईज स्थित है व्यवसाय हेतु लाईसेंसी को सब्जेक्ट टू सेक्शन 52 से 63 आफ दी इण्डियन ईजमेंट एण्ड लाईसेंस एक्ट 1882 के अन्तर्गत लाईसेंस दर पर आवंटित की जा रही है।

2. आवंटित स्टाल/बूथ में लाईसेंसधारी द्वारा लाईसेंस अवधि में निम्न वस्तुओं/पदार्थों का ही व्यवसाय किया जावेगा :-

- 1.
- 2.

उक्त के अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ / सामग्री पदार्थ / सामग्री का व्यवसाय नहीं किया जा सकेगा अन्यथा लाईसेंस निरस्त करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा।

3. इस दुकान/बूथ/स्टाल/बूथ संचालन की मासिक लाईसेंस फीस राशि शब्दों में रुपये मात्र होगी।

4. यह लाईसेंस अवधि दिनांक दिनांक के लिये मान्य होगी।

5. निगम बस स्टैण्डों पर आवंटित दुकान नम्बर /स्टाल संख्या/बूथ संख्या/ खाली स्थान लाईसेंस पर प्रथमतः एक वर्ष के लिये लाईसेंस फीस पर आवंटित की जाती है। एक वर्ष की अवधि समाप्ति पर 10 प्रतिशत राशि बढ़ाकर अर्थात पूर्व लाईसेंस फीस में 10 प्रतिशत वृद्धि कर लाईसेंस फीस जमा करते हुये अगले एक वर्ष के लिये नवीनीकरण किया जावेगा। जिन स्टालों की मासिक लाईसेंस फीस 50000/- रुपये से कम है। उन स्टालों का लाईसेंस नवीनीकरण अधिकतम तीन वर्ष तक व जिन स्टालों की मासिक लाईसेंस फीस 50000/- रुपये अथवा उससे अधिक होने पर उन स्टालों का लाईसेंस नवीनीकरण अधिकतम पाँच वर्ष तक की अवधि के लिए किया जा सकेगा। उक्त लाईसेंस अवधि की समाप्ति के दो माह पूर्व पुनः खुली निविदा आमंत्रित कर नये उच्चतम निविदा दाता को दिशा निर्देशानुसार समय पर स्टाल आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी। उक्तानुसार नवीनीकरण नहीं कराने पर/अवधि समाप्ति पर पूर्व में किया गया अनुबन्ध/जारी लाईसेंस स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। इसके लिये पृथक से नोटिस आदि जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी तथा लाईसेंसी को दुकान/स्टाल/बूथ/खाली स्थान स्वतः ही खाली करना होगा। इसके लिये वह किसी भी अधिकार क्षेत्र न्यायालय में वाद दायर नहीं करेगा।

6. निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि वो स्टाल/ कैंटीन/बूथ का स्थान निर्धारित प्रशासनिक दृष्टि से उपयुक्त समझा जाने पर बदल सकेगा। इस बारे में निगम के द्वारा लिखित में निर्देश दिये जाने के 24 घण्टे के अन्दर-अन्दर लाईसेंस धारक उसके स्वयं के खर्चे पर पुरानी जगह से समस्त सामान उठाकर नई जगह पर ले जावेगा। ऐसी स्थिति में यदि लाईसेंस धारक उचित समझे तो एक माह का नोटिस देकर बिना किसी उतरदायित्व के लाईसेंस समाप्त कर सकेगा।
7. लाईसेंसधारी स्वयं के खर्चे पर बिजली व पानी का कनेक्शन प्राप्त करेगा तथा उसका भुगतान संबंधित विभाग को करेगा। लाईसेंस धारी निगम की बिजली व पानी का उपयोग नहीं करेगा। जहां लाईसेंसधारी को बिजली व पानी के लिये निगम की ओर से कनेक्शन पूर्व में दिया हुआ है वहां लाईसेंसधारी बिजली का सब मीटर स्वयं के खर्चे पर लगवायेगा। तथा बिजली व पानी का खर्चा जो कि निगम के द्वारा निर्धारित किया हुआ हो को निगम की देय तारीख से कम से कम दो दिवस पहले निगम में जमा करवायेगा। ऐसा नहीं किये जाने की सूरत में निगम के द्वारा उसका बिजली व पानी के संबंध विच्छेद कर दिया जावेगा।
8. निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि एक विषय संबंधी लाईसेंस धारी के अलावा उक्त विषय में अतिरिक्त लाईसेंस भी उसी प्लेटफार्म पर अन्य फर्म को यात्रियों की सुविधा को मध्य नजर रखते हुए जारी कर सकेगा। लाईसेंसधारी को इस बारे में कोई एतराज उठाने का अधिकार नहीं होगा।
9. लाईसेंसधारी उक्त स्टाल/कैंटीन/बूथ पर कोई विज्ञापन पट्ट अथवा कोई विज्ञापन नोटिस नहीं लगावेगा।
10. लाईसेंसधारी किसी ऐसे व्यक्ति को सेवा में नहीं रखेगा जो कि फैलने वाली किसी बीमारी से ग्रसित हो, जिसकी साख खराब हो अथवा जो अपराधी प्रवृत्ति का हो। निगम के द्वारा इस बारे में लिया गया निर्णय लाईसेंसधारी को मान्य होगा।
11. लाईसेंसधारी द्वारा अपनी स्टाल/बूथ/दुकान पर रखे जाने वाले नोकर एवं कार्य करने वाले व्यक्तियों के नाम एवं पते सहित सूची मुख्य प्रबन्धक को देनी होगी तथा सूची में अंकित व्यक्ति ही उक्त स्थान पर कार्य करने के लिए अधिकृत होंगे। सूची में नाम नहीं होने पर कार्य करने वाला अतिक्रमि होगा एवं सूची में नाम अंकित व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा उक्त स्थान पर एक सप्ताह की अवधि तक अतिक्रमण करने पर लाईसेंस समाप्त समझा जावेगा तथा धरोहर राशि जब्त की जा सकेगी। नोकर अथवा कार्य करने वाले कर्ता के बदलने पर उसकी सूचना संबंधित मुख्य प्रबन्धक को देनी होगी।
12. निगम अथवा स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिकृत व्यक्ति को स्टाल/कैंटीन पर उपयोग में लाये जाने वाले/बेचे जाने वाले खाने के पदार्थों की स्वच्छता की जांच कर सकेगा ऐसे पदार्थ अस्वच्छ होने पर उनके बेचे जाने पर रोक लगाये जाने का अधिकार होगा।
13. लाईसेंसधारी अथवा उसके द्वारा कार्यरत व्यक्ति यह सुनिश्चित करेंगे कि वे साफ सुथरे रहे तथा अन्य यात्रियों की शालीनतापूर्वक सेवा करने को तत्पर रहें।
14. लाईसेंसधारी अथवा उनके द्वारा कार्यरत कोई भी कर्मचारी नशे की हालत में निगम के परिसर में नहीं आवेगा।
15. लाईसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि वो कैंटीन/स्टाल/बूथ का उपयोग केवल निर्धारित कार्य के उपयोग में लावेगा। वो ऐसे स्थान को विश्राम स्थल अथवा किसी अन्य अनाधिकृत कार्य के उपयोग में नहीं लावेगा।
16. लाईसेंसधारी उसके स्टाल पर किसी भी प्रकार की नशीली वस्तुओं को जैसे शराब, बीयर, अफीम, गांजा, चरस आदि न तो रखेगा न ही बेचेगा।
17. लाईसेंसधारी केवल उस कीमत पर अधिकृत वस्तुओं का बेचान करेगा जो कीमत निगम द्वारा समय समय पर निर्धारित की गई है। निगम के द्वारा निर्धारित दरों की एक सूची स्पष्ट तौर पर स्टाल/बूथ में लगावेगा।
18. लाईसेंसधारी उसके द्वारा देय लाईसेंस फीस के अलावा उन समस्त करों को तथा अन्य फीस को जो किसी सरकारी विभाग अथवा स्थानीय निकाय को, देय हो आदि का भुगतान नियमानुसार समय पर करेगा। लाईसेंसधारी पर लागू लाईसेंस अथवा परमिट आदि लेने की आवश्यकता हो तो वह स्वयं ही जिम्मेदारी पर देय फीस भुगतान कर प्राप्त करेगा।

RajKaj Ref
10784984

19. लाईसेंसधारी एक सूचना पट्ट अपनी स्टॉल पर लगायेगा जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा कि बूथ द्वारा जो सामान/वस्तुएँ विक्रय की जा रही है उसकी गुणवत्ता के बारे में या बूथ पर पदस्थापित किसी कर्मचारी के संबंध में कोई शिकायत हो तो शिकायत पुस्तिका में शिकायत अंकित कर सकते हैं। यह शिकायत पुस्तिका निरीक्षण के दौरान निगम के अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। जो कि इस हेतु अधिकृत है।
20. लाईसेंसधारी अनुज्ञापत्र के तहत किये जाने वाले व्यवसाय के लिये आवक फर्नीचर एवं फिक्चर्स, टेबल, कुर्सी, ग्लास, क्रोकरी व स्टोर संबंधी सामग्री स्वयं अपने व्यय से लगवायेगा या रखेगा जो कि उसके व्यवसाय के लिये आवश्यक है।
21. लाईसेंसधारी अपने स्टाल में उपयोग किये जाने वाले बर्तन, फर्नीचर व स्टॉल में उपयोग में लिये जाने वाले समस्त खाद्य व अखाद्य पदार्थ स्वच्छ तरीके से निगम अधिकारियों के सन्तुष्टि के मुताबिक रखेगा। निगम के अधिकारियों को स्टाल में जाकर इस बारे में मुआयना करने का अधिकार होगा व लाईसेंसधारी इस बारे में कोई एतराज करने का अधिकार नहीं रखेगा। निगम के द्वारा निर्देशानुसार अधिकृत अधिकारी द्वारा मुआयना करने पर पायी गई त्रुटियों को लाईसेंसधारी स्वयं के खर्चे पर निगम के आदेशानुसार दूर करेगा जो कि निगम या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के सन्तुष्टि के मुताबिक होगा।
22. लाईसेंसधारी स्टाल के आसपास की जगह को साथ सुथरे व स्वच्छ तरीके से रखेगा। बर्तन आदि धोने के पानी को स्टाल के बाहर नहीं फैलायेगा व ना ही बर्तनों को स्टाल के बाहर लाकर धोयेगा तथा बाहर कचरा पात्र रखेगा।
23. निगम द्वारा लाईसेंस को पन्द्रह दिवस का लिखित नोटिस देकर लाईसेंस निरस्त करने का अधिकार होगा। निगम के लिये यह आवश्यक नहीं होगा कि इसके संबंध में कोई कारण का उल्लेख नोटिस में करें।

निम्नलिखित परिस्थितियों में लाईसेंस को केवल मात्र 48 घंटों का लिखित नोटिस दिया जाकर निगम के द्वारा निरस्त किया जा सकता है :-

(क) यदि लाईसेंसधारी को दिवालिया घोषित कर दिया गया है।

(ख) यदि लाईसेंसधारी एक माह की अवधि की लाईसेंस फीस जमा कराने में असफल रहा हो।

(ग) यदि लाईसेंसधारी लाईसेंस की किसी शर्त की पालना करने में असमर्थ रहता है।

(घ) यदि लाईसेंसधारी ने लाईसेंस प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तुत निविदा में कोई अधूरी, गलत या भ्रमित जानकारी अंकित की हो। लाईसेंस के निरस्त किये जाने की स्थिति में लाईसेंसधारी परिसर को तुरन्त खाली कर उसका कब्जा निगम के सक्षम अधिकारी को देगा। लाईसेंसधारी परिसर में 24 घण्टे के अन्दर समस्त सामान स्टाल से हटा लेगा। ऐसा नहीं किये जाने पर निगम के सक्षम अधिकारी परिसर में प्रवेश कर स्टाल का कब्जा ले लेगा और स्टाल के ताला लगा देगा। लाईसेंसधारी का फर्नीचर व अन्य समस्त सामान अधिकारी स्टाल से हटाकर अपने कब्जे में लेगा उसको बिक्री या अन्य प्रकार से डिस्पोज कर हटाने का अधिकार होगा और निगम ऐसी सूरत में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का अधिकारी नहीं होगा। निगम द्वारा इस संबंध में किया गया समस्त खर्चा सामान कि बिक्री मूल्य या अमानत राशि में से वसूली का अधिकारी होगा।

24. लाईसेंस की विरुद्ध मासिक लाईसेंस फीस व अन्य देय राशि बकाया रहने पर उसका लाईसेंस नवीनीकरण नहीं किया जावेगा तथा बकाया राशि वसूली हेतु जमा धरोहर एवं सुरक्षा राशि जब्त करने के विरुद्ध लाईसेंस न्यायालय में कोई विवाद नहीं ले जा सकेगा।
25. यदि स्टालधारी स्वयं अपना लाईसेंस चालू नहीं रखना चाहे तो उसे कम से कम तीन माह पूर्व इसकी सूचना आगार प्रभारी को प्रस्तुत करनी होगी। तीन माह का नोटिस दिये बिना व्यवसाय बंद करने पर उसकी पूर्व में जमा धरोहर एवं सुरक्षा राशि निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी।
26. लाईसेंसधारी की लाईसेंस अवधि के दौरान मृत्यु हो जाने की स्थिति लाईसेंसधारी आश्रित उसकी पत्नी एवं आश्रित बच्चे के नाम पर लाईसेंस की शेष अवधि के लिए लाईसेंस हेतु संचालन किया जा सकेगा। पत्नी के स्वयं स्टॉल संचालित करने में सक्षम नहीं होने अथवा आश्रित बच्चों के नाबालग होने की दशा में पत्नी के शपथ-पत्र पर पत्नी के

माता-पिता, भाई बहन या नाबालिंग संतानों के विधिक संरक्षक के नाम लाईसेंस का हस्तान्तरण लाईसेंस की शेष अवधि के लिए किया जा सकेगा। उपरोक्तानुसार संबंधित आगार स्तरीय समिति का अनुमोदन उस जोन के महाप्रबन्धक (संचालन) से कराने के पश्चात् ही मृतक लाईसेंसधारी के लाईसेंस का हस्तान्तरण लागू किया जा सकेगा।

27. लाईसेंसधारी पर नोटिस की तामिल पूर्ण समझी जावेगी। यदि कोई नोटिस उसके द्वारा दिये गये पते पर प्रेषित कर दिया जाता है अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवा दिया जाता है। यदि लाईसेंसधारी द्वारा निविदा में दिये गये पते में कोई परिवर्तन होता है तो लाईसेंसधारी संबंधित आगार के मुख्य प्रबन्धक को लिखित/रजिस्टर्ड डाक द्वारा परिवर्तित पते से सूचित करना होगा।
28. लाईसेंस की अवधि समाप्त होने अथवा निगम द्वारा उपरोक्त वर्णित आधारों पर लाईसेंस निरस्त किये जाने कि स्थिति में लाईसेंसधारी को निगम के परिसर में प्रवेश करने और किसी प्रकार का व्यापार करने को कोई अधिकार नहीं होगा। यदि उसके द्वारा ऐसा किया जाता है तो बिना अधिकार के अतिक्रमण करने वाला अतिचारी होगा जो कि अपराधिक अतिचार के अपराध से दण्डित किये जाने का उत्तरदायी होगा।
29. लाईसेंस की इन शर्तों से लाईसेंसधारी के पक्ष में इस परिसर के संबंध में कोई किरायेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होगा और लाईसेंस के निरस्त होने पर निगम को स्टाल/केंटीन में प्रवेश करने का व पुनः कब्जा लेने का पूर्ण अधिकार होगा।
30. लाईसेंस फीस या अन्य राशि जो निगम को नियमानुसार जमा करवाई जावेगी पूर्ण अथवा आंशिक रूप से वापिस लेने का लाईसेंसधारी को कोई अधिकार नहीं होगा। निगम द्वारा स्टाल/केंटीन बंद किये जाने के दौरान व्यतीत अवधि के लिए व्यवसाय बंद होने के आधार पर भी कोई लाईसेंस फीस या अन्य जमा करवाई गई राशि लाईसेंसधारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। सड़क यातायात के निलम्बित होने, बसों के आवागमन व रुकने के समय में परिवर्तन होने/बसों के देरी से आने या रवाना के कारण, कर्मचारियों की हड़ताल के कारण, आगार परिसर में किये जाने वाले व्यवसाय में व्यवधान होने पर लाईसेंसधारी को लाईसेंस फीस या अन्य राशि पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निगम से प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। लाईसेंसधारी को इन परिस्थितियों में लाईसेंस फीस आदि यथावत तौर पर जमा करवानी होगी।
31. लाईसेंसधारी उसको आवंटित स्टाल/केंटीन पर व्यवसाय स्वयं की जोखिम पर करेगा और निगम का लाईसेंसधारी से किसी यात्री/आम जनता या निगम के कर्मचारी द्वारा लिया गया ऋण एवं अन्य सामान के लिए कोई उत्तदायित्व नहीं होगा। लाईसेंसधारी अथवा उसके किसी कर्मचारी या एजेन्ट के द्वारा दूषित अथवा प्रतिबन्धित खाद्य पदार्थ या अन्य सामान के बेचने या वितरण के फलस्वरूप किसी यात्री / निगम कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा निगम का इससे कोई सम्बन्ध नहीं होगा।
32. लाईसेंसधारी द्वारा लाईसेंस की शर्तों के अनुरूप असन्तोषजनक या असफल सेवा निगम की सन्तुष्टि के अनुरूप नहीं होने पर निगम को यह अधिकार होगा कि लाईसेंसधारी के खर्च व जोखिम पर अन्य इन्तजाम करें एवं ऐसी परिस्थिति पर लाईसेंस फीस और धरोहर राशि को जब्त करें ऐसी सूरत में लाईसेंसधारी को निगम या उसके किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई दावा प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा।
33. लाईसेंसधारी अथवा उसके किसी कर्मचारी की कोई दुर्घटना अथवा किसी अन्य प्रकार से चोट अथवा मृत्यु होने की सूरत में कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के प्रावधानों के अन्तर्गत दी जाने वाली राशि अदा करने के दायित्व से निगम मुक्त रहेगा। निगम का ऐसी स्थिति में कोई भुगतान करने का दायित्व नहीं होगा। लाईसेंसधारी अथवा उसके किसी कर्मचारी की लापरवाही से की गई आगार परिसर में कोई दुर्घटना होती है और निगम को उसके लिए कोई वर्कमेन कम्पन्सेशन एक्ट कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम अथवा अन्य किसी कारण से बनती है व भुगतान करना पड़ता है तो ऐसी सूरत में निगम लाईसेंसधारी से भुगतान अथवा खर्च की गई राशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
34. लाईसेंसधारी निविदा में दी गई शर्तों एवं सामग्री के अनुरूप ही अपने केंटीन/स्टाल में व्यवसाय करेगा। अन्य किसी और प्रकार का व्यवसाय / कार्य करने का अधिकारी नहीं होगा। लाईसेंसधारी द्वारा उसे आवंटित परिसर के अलावा निगम की अन्य कोई भूमि/परिसर पर अनाधिकृत रूप से उपयोग या उपभोग नहीं करेगा। यदि लाईसेंसधारी स्टाल/केंटीन के अलावा अनाधिकृत रूप से अन्य कोई परिसर का उपयोग व उपभोग करता है तो उस अवधि का लाईसेंस फीस के पांच गुणा राशि का भुगतान प्रत्येक माह के अनुसार करने का जिम्मेदार होगा व निगम को स्टाल/केंटीन आदि लाईसेंस को ऐसी सूरत में निरस्त करने का अधिकार होगा। इन परिस्थितियों में लाईसेंसधारी द्वारा निगम को देय राशि अथवा जमा करायी **RajKajRef 10784984** के संबंध में किसी न्यायालय या सक्षम व्यक्ति

के समक्ष चुनौती देने का व वास्तविक नुकसान को प्रमाणित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा और ना ही उसे किसी प्रकार को कोई अधिकार ही होगा।

35. यदि निगम या उसके द्वारा अधिकृत कर्मचारी की राय के अनुसार उपरोक्त संपत्ति में कोई नुकसान लाईसेंसधारी अथवा उसके एजेन्ट या कर्मचारी की असावधानी या लापरवाही से हुआ है तो ऐसी सूरत में लाईसेंसधारी निगम को उस नुकसान का हर्जाना अदा करेगा। ऐसे नुकसान की गणना निगम के मुख्य प्रबन्धक/सहायक अभियन्ता (सिविल) अथवा अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा की जावेगी जिसकी गणना के लिए खर्च की गई राशि की अदायगी का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा। उपरोक्त अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट अंतिम होगी तथा लाईसेंसधारी पर बाध्यकारी होगी।
36. लाईसेंसधारी अथवा उसके कर्मचारी द्वारा निगम द्वारा आवंटित परिसर पर किये जाने वाले अस्थायी निर्माण को दिये गये डिजायन के अनुसार ही किया जावेगा। अपनी स्वेच्छा से आवंटित स्टाल/कंटीन पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा। अस्थायी निर्माण से संबंधित दिये गये डिजायन के अनुसार ही निर्माण किये जाने वाले व्यय को स्वयं लाईसेंस धारी वहन करेगा अस्थायी निर्माण निगम के अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुरूप होगा। लाईसेंस की अवधि समाप्त होने या अन्य किसी कारण निगम के द्वारा अवाप्ति करने की स्थिति में लाईसेंसधारी स्वयं के खर्च पर समस्त निर्माण हटा लेगा। लाईसेंसधारी किसी भी सूरत में आवंटित स्थान पर स्थायी निर्माण नहीं करेगा।
37. सुरक्षा राशि या उसका कोई अंश जप्त होने या समायोजित होने या लाईसेंस के प्रावधानों एवं शर्तों के अनुसार निगम द्वारा उपयोग/समायोजित किये जाने की सूरत में लाईसेंसधारी लिखित सूचना प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अन्दर पुनः सुरक्षा राशी जमा कराने के लिए बाध्यकारी होगा व सुरक्षा राशि की पूर्ति करेगा। ऐसा नहीं करने पर लाईसेंसधारी का लाईसेंस निरस्त माना जावेगा।
38. लाईसेंस की अवधि समाप्ति पर अथवा लाईसेंस निरस्त होने पर निगम की कोई बकाया नहीं होने की स्थिति में एक माह की भीतर लाईसेंसधारी को उसकी जमा धरोहर एवं सुरक्षा राशि लौटायी जा सकेगी। यदि निगम और अनुज्ञापत्रधारी के मध्य अनुज्ञापत्र या अन्य किसी देय राशि के संबंध के कोई विवाद/बकाया राशि रहने पर निगम को उक्त धरोहर व सुरक्षा राशि या उसका कोई अंश अपने पास रखने का अधिकार होगा, जब तक की विवाद का अंतिम रूप से निर्णय नहीं हो जावे।
39. (i) Dispute Resolution : Any dispute or difference whatsoever arising between the parties out of or relating to the construction, meaning, scope, operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof, shall, in the first instance, be resolved by referring such dispute or difference to the Standing Committee constituted vide Rajasthan State Road Transport Corporation's office order No. HO/Law/Gen/ 17/781 dated 03.10.2017. The Standing Committee so constituted shall ensure full compliance with the office order referred to above.
- (ii) Any dispute/objection regarding the conditions mentioned in all the tenders/ contracts/agreements issued by the corporation shall be filed in the competent court located in Jaipur.
40. लाईसेंसधारी के द्वारा प्रस्तावित फीस की स्वीकृति निगम के द्वारा किये जाने पर लाईसेंसधारी उसके हक में स्वीकार दर की तीन माह की लाईसेंस फीस के बराबर सुरक्षा की राशि संबंधित मुख्य प्रबन्धक को डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे-आर्डर/चैक द्वारा इस बारे में लिखित स्वीकृति प्राप्त होने के दस दिवस के भीतर-भीतर जमा करवायेगा। ऐसा नहीं किये जाने पर उसके द्वारा जमा करवाई गई धरोहर राशि निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी तथा धरोहर व सुरक्षा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सुरक्षा राशि जमा नहीं करवाये जाने की सूरत में लाईसेंसधारी को स्टाल/कंटीन चलाने की स्वीकृति नहीं दी जावेगी। निगम को यह पूर्ण अधिकार होगा कि सुरक्षा राशि में से लाईसेंसधारी की तरफ बकाया इस अनुबंध अथवा अन्य अनुबंध के तहत अथवा अन्य किसी भी राशि का समायोजन इस राशि में से किया जा सकेगा।
41. जिस फर्म के पक्ष में लाईसेंस जारी किया गया है उस फर्म को अपना व्यवसाय लाईसेंस जारी करने की दिनांक से 30 दिवस के भीतर-भीतर प्रारम्भ करना होगा। यदि लाईसेंस फर्म ऐसा करने में असफल रहती है तो उसका लाईसेंस निरस्त कर दिया जावेगा व धरोहर राशि निगम जब्त करेगा। ~~राजस्थान~~ निविदा के आधार पर दूसरी उच्चतम बोली वाली फर्म को लाईसेंस आवंटित कर दिया जावेगा। फर्म ~~1978/964~~ में लाईसेंस जारी किया गया है उसका यह

दायित्व होगा कि लाईसेंस फीस का भुगतान उस दिनांक से करें जिस दिनांक से उसका प्रस्ताव स्वीकार किया गया है।

42. फर्म जिसके पक्ष में लाईसेंस जारी किया गया है, को 12 अग्रिम पोस्टेड चैक निगम के कार्यालय में जमा कराने होंगे जो कि प्रत्येक माह की 01 तारीख को देय होंगे। हर एक चैक प्रत्येक माह की लाईसेंस फीस के भुगतान के लिए निगम को देय होगा 12 चैक में से कोई भी चैक अनाद्रित/तिरस्कृत हो जाने की दशा में लाईसेंसी को सात दिवस का रजिस्टर्ड नोटिस/अनाद्रित/तिरस्कृत चैक की राशि एवं बैंक द्वारा चार्ज की गई राशि जमा कराने हेतु दिया जावेगा। यदि राशि जमा नहीं कराई जाती है तो लाईसेंस समाप्त कर दिया जावेगा। इसके साथ ही निगम नियमानुसार संबंधित फर्म के विरुद्ध कार्यवाही करेगा।
43. लाईसेंसधारी, स्टॉल आवंटन के पश्चात स्वयं के खर्च पर आवंटित स्थान पर सुव्यस्थित रूप से कियोस्क का निर्माण करेगा। निर्माण पूर्व स्टाल निर्माण के प्रारूप का अनुमोदन करवाना लाईसेंसधारी के लिए अनिवार्य होगा। यदि स्टाल बनी हुयी है तो उसे व्यवस्थित करेगा, लाईसेंसधारी का दायित्व होगा कि आवंटित स्टॉल को इस प्रकार से व्यवस्थित कर संचालित करे, जिससे प्लेटफार्म की सुन्दरता बनी रही। इस कार्य हेतु किये गए व्यय का निगम द्वारा किसी भी प्रकार से पुनःभरण नहीं किया जावेगा। स्टॉल को सुव्यवस्थित करने के पश्चात् ही व्यवसाय प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जावेगी।
44. वित्तमंत्रालय भारत सरकार (राजस्व विभाग) न्यू देहली की अधिसूचना संख्या – 24/2007 सेवा कर द्वारा दिनांक 01.06.2007 से निगम परिसर में आवंटित दूकान, स्टाल, बूथ जो लाईसेंस पद्धति पर आवंटित है, पर देय मासिक लाईसेंस फीस पर जी.एस.टी, कुल 18 प्रतिशत अतिरिक्त लाईसेंसी द्वारा निगम को भुगतान करना होगा। यह दर भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना अनुसार रहेगी।
45. लाईसेंसधारी को स्वयं के व्यय पर 2 सी.सी.टी.वी. कैमरे (विथ साउण्ड रिकार्डर) प्रथम कैंस काउन्टर व दुसरा बाहर रास्ते की ओर लगा हुआ हो, जिसका बैकअप एक माह तक रक्षित रखना अनिवार्य होगा।
46. निगम को अपने बस स्टेण्ड के पुनः निर्माण/अंतरण इत्यादि जनहित में नोटिस जारी कर कभी भी लाईसेंस समाप्त करने का अधिकार आगार समिति में होगा। निर्माण कार्यों के कारण उक्त स्टॉल/कियोस्क को हटाना जाना आवश्यक होगा तो उक्त स्टॉल/कियोस्क को 24 घंटे का नोटिस देकर हटाया जायेगा जिसके लिए द्वितीय पक्ष को आपत्ति करने एवं क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
47. लाईसेंसधारी मासिक लाईसेंस फीस प्रत्येक माह की 07 तारीख तक चैक का नकदीकरण राशि निगम कोष में जमा करवाना सुनिश्चित करेगा एवं कार्यालय से इसकी रसीद प्राप्त कर केन्टीन शाखा में प्रस्तुत करेगा अन्यथा लाईसेंसधारी द्वारा निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं कराने पर प्रतिदिन 50/- रुपये अथवा चैक राशि का एक प्रतिशत (जो भी अधिक हो) की दर से शास्ति जमा करानी होगी। फिर भी लाईसेंसधारी द्वारा भुगतान नहीं किये जाने पर चैक डिस्ऑनर होने की स्थिति में लाईसेंसधारी के विरुद्ध नियमानुसार न्यायिक कार्यवाही भी की जायेगी।

उपरोक्त शर्तें दोनों पक्षों ने सुन व समझ ली है। इन शर्तों को दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं व आज दिनांक को हस्तातरित किया गया।

हस्ताक्षर लाईसेंसी

मय पूरा नाम

हस्ताक्षर मुख्य प्रबन्धक

मय कार्यालय सील

RajKaj Ref
10784984

स्थान

दिनांक

गवाह 1

गवाह – 1. हस्ताक्षर मय

पूरा नाम पद मय कार्यालय सील

गवाह 2

गवाह-2. हस्ताक्षर मय

पूरा नाम व कार्यालय सील

RajKaj Ref
10784984